रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032026-270694
CG-DL-E-06032026-270694

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1113] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2026/फाल्गुन 14, 1947
No. 1113] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2026/PHALGUNA 14, 1947

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026

का.आ. 1165(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करती है और तदनुसार उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अंतर्गत यथापेक्षित, इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना वाले जनसाधारण की जानकारी के लिए इसे एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; तथा यह सूचना दी जाती है कि राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार में लिया जाएगा;

यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्ताव के संबंध में आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हो, तो वह निर्धारित अवधि के भीतर अपनी आपत्तियाँ या सुझाव लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली–110003 को प्रेषित कर सकता है अथवा उन्हें ई-मेल पते : diriapolicy-moefcc@gov.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

का.आ. (अ).- जबकि, केन्द्रीय सरकार ने तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2006 द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (जिसे इसके बाद

उक्त अधिसूचना कहा गया है) प्रकाशित की थी, जिसके माध्यम से अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित कुछ श्रेणी की परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) अनिवार्य की गई थी;

और जबकि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रेणी 'ख' की परियोजनाओं के लिए राज्य स्तर पर शीघ्र स्वीकृतियाँ सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों (एसईआईएए) का गठन किया गया है; तथा एसईआईएए की सहायता के लिए, मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (एसईएसी) का गठन किया जाता है।

और जबकि, एसईआईएए/एसईएसी का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एसईआईएए/एसईएसी की अनुपस्थिति में, उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्रीय स्तर पर किया जाता है। पुनर्गठन की प्रक्रिया सामान्यतः समाप्ति से छह माह पूर्व प्रारंभ की जाती है, तथापि राज्यों से प्रस्तावों के विलंब से या अपूर्ण प्रस्तुतिकरण के कारण देरी होती है।

और जबकि, मंत्रालय में इस विषय की समीक्षा की गई है। यह देखा गया है कि एसईआईएए के विलंब से पुनर्गठन से राज्य स्तर पर ईसी प्रक्रिया पूरी तरह रूक जाती है और लंबित प्रस्तावों को एक साथ केंद्र को स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे समय-सीमा बढ़ जाती है और परियोजनाओं के मूल्यांकन में अनावश्यक देरी होती है, जो परियोजना की समय-सीमा और निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करती है।

और जबकि, केंद्र सरकार यह आवश्यक समझती है कि एसईआईएए और एसईएसी की निरंतरता सुनिश्चित की जाए, जिसके लिए एक अलग स्थायी निकाय को अंतरिम व्यवस्था के रूप में अधिकृत किया जाए ताकि कार्यकारी प्राधिकारी की अनुपस्थिति में तथा एसईआईएए/ एसईएसी के गठन तक परियोजनाओं/कार्यकलापों का मूल्यांकन किया जा सके और ईआईए अधिसूचना 2006 के अंतर्गत नियामक स्वीकृतियाँ प्रदान की जा सकें।

और जबकि, केंद्र सरकार यह भी आवश्यक समझती है कि उक्त स्थायी निकाय को एसईआईएए/एसईएसी स्तर पर विलंबित परियोजनाओं पर विचार करने और अन्य ऐसे कार्यों को निष्पादित करने के लिए भी अधिकृत किया जाए, जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (समय-समय पर संशोधित) के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर उसे सौंपे गए हों।

और जबकि , ईआईए अधिसूचना 2006 का परिशिष्ट VI श्रेणी क परियोजनाओं के लिए क्षेत्र/परियोजना-विशिष्ट विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) तथा श्रेणी ख परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) और विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (एसईएसी) की संरचना का प्रावधान करता है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाना है। वर्षों से ईएसी और एसईआईएए/एसईएसी के गठन में प्राप्त अनुभव के आधार पर मंत्रालय यह आवश्यक समझता है कि परिशिष्ट VI के प्रावधानों में कुछ संशोधन किए जाएँ ताकि ईएसी और एसईआईएए/एसईएसी के गठन को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा सके।

अतः अब, केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 की उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (29 का 1986) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) की उपधारा (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना संख्या सां.आ.1533(अ.) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में,-

क. पैरा 3 के उप-पैरा (6) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
"एसईआईएए का कार्यकाल चार वर्ष की अवधि का होगा तथा कार्यकाल की समाप्ति पर इसका पुनर्गठन किया जाएगा।"

ख. पैरा 3 के उप-पैरा (6) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:-

"(6क) उपर्युक्तानुसार एसईआईएए के गठन के अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक स्थायी पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसएईआईए) भी होगा, जिसका गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा तथा इसमें उपयुक्त समझे जाने वाले पदेन सदस्य शामिल होंगे। एसईआईएए के कार्यकाल की समाप्ति अथवा किसी अन्य कारण से उसके गैर-कार्यात्मक हो जाने की स्थिति में, एसएईआईए प्रत्येक मामले में अधिकतम 6 माह की अवधि तक एसईआईएए के कार्यों का निर्वहन करेगा, जिसे अधिकतम 6 माह की अतिरिक्त अवधि तक और बढ़ाया जा सकेगा। एसएईआईए पैरा 8(iiक) में उल्लिखित कार्यों का

भी निर्वहन करेगा तथा इस अधिसूचना के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन से संबंधित ऐसे अन्य कार्य भी करेगा, जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएंगे। एसएईआईए परिशिष्ट-VI में वर्णित परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर सकेगा।"

ग. पैरा 3 के उप-पैरा (7) में ''एसईआईएए'' शब्द के पश्चात ''एसएईआईए'' शब्द को जोड़ा जाएगा।

घ. "पैरा 4 के उप-पैरा (iii) में 'विधिवत गठित एसईआईएए या एसईएसी के अभाव में, श्रेणी 'ख' की परियोजना को केंद्रीय स्तर पर श्रेणी 'ख' की परियोजना के रूप में विचार किया जाएगा' शब्दों को विलोपित किया जाएगा।"

ङ. पैरा 5 के उप-पैरा (ग) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"ईएसी तथा एसईएसी का कार्यकाल चार वर्ष की अवधि का होगा तथा कार्यकाल की समाप्ति पर ईएसी/एसईएसी का पुनर्गठन किया जाएगा।"

च. पैरा 5 के उप-पैरा (ग) के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

"(ग क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पर एक स्थायी समिति (एससीईआईए) का गठन केंद्र सरकार द्वारा पदेन सदस्यों सहित किया जाएगा, जो एसईएसी के कार्यों का निर्वहन करेगी, यदि एसईएसी का कार्यकाल समाप्त होने के कारण अथवा किसी अन्य परिस्थिति में उसके गैर-कार्यात्मक हो जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में यह प्रत्येक मामले में अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य करेगी, जिसे अधिकतम 6 माह की अतिरिक्त अवधि तक और बढ़ाया जा सकेगा।एससीईआईए राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में इस अधिसूचना के क्रियान्वयन से संबंधित ऐसे अन्य कार्य भी संपादित करेगा, जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे गए हैं। एससीईआईए, परिशिष्ट–VI में उल्लिखित परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर सकता है।''

छ. उप-पैरा IV के उप-पैरा (iii) के बाद। अनुच्छेद 7(1) के, चरण (4) में' निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

"(iiiक) यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 120 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा ईसी के लिए आवेदन का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो उक्त आवेदन स्वत: ही परिवेश पोर्टल के माध्यम से पर्यावरण प्रभाव आकलन की स्थायी समिति (एससीईआईए) विचारार्थ के अग्रेसित जाएगा, जो ऐसे परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगी और परिशिष्ट–VI में उल्लिखित परिस्थितियों तथा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार अपनी सिफारिशें प्रदान करेगी।

ज. अनुच्छेद 8 के उप अनुच्छेद (iii) के पश्चात निम्नलिखित शामिल किया जाएगा:-

"(iiiक) यदि उपर्युक्त उप-पैरा (i) या (ii), जैसा भी लागू हो, में निर्दिष्ट अवधि के भीतर एसईआईएए का निर्णय आवेदक को संप्रेषित नहीं किया जाता है, तो प्रस्ताव स्वत: ही परिवेश पोर्टल के माध्यम से स्वतः पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए स्थायी प्राधिकरण (एसएईआईए) को अग्रेसित हो जाएगा जो, जैसा भी लागू हो, एसईएसी या एससीईआईए की सिफारिशों की समीक्षा करेगा और परिशिष्ट–VI में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर संबंधित परियोजना के लिए ईसी प्रदान करने या अस्वीकार करने पर अंतिम निर्णय लेगा तथा इस अंतिम निर्णय की सूचना परियोजना प्रस्तावक और संबंधित एसईआईएए दोनों को देगा।"

I.परिशिष्ट VI की जगह ये रखा जाएगा:-

"परिशिष्ट VI

(पैरा 3 और 5 देखें)

क. **श्रेणी–क परियोजनाओं के लिए क्षेत्र/परियोजना-विशिष्ट विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) तथा श्रेणी–ख परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र स्तर की पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) और राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र स्तर की विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (एसईएसी) की संरचना और पात्रता मानदंड, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाएगा।**

1. **योग्यता:**

i. एमए/एमएससी/एसबीए/एलएलएम डिग्री के लिए 5 वर्ष की औपचारिक पढ़ाई, या निर्धारित अप्रेंटिसशिप/आर्टिकलशिप से एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, या

ii. अभियांत्रिकी/प्रोद्योगिकी/वास्तुकला विषयों के संबंध में, बी.टेक/बी.ई/बी.आर्क. डिग्री के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 4 वर्ष की औपचारिक शिक्षा, या

iii. सेवा अकादमी में 2 वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सिविल सेवा अधिकारी।

2. अनुभव: ऊपर बताई गई योग्यताओं सहित कम से कम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई भी व्यक्ति या निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों/विषयों में पीएचडी सहित कम से कम 10 वर्षों का अनुभव :

i. पर्यावरण गुणवत्ता: पर्यावरणीय गुणवत्ता के संबंध में मापन, निगरानी, विश्लेषण और आंकड़ों के विशलेषण में विशेषज्ञ

ii. क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधन: परियोजना प्रबंधन में विशेषज्ञ या संबंधित क्षेत्रों में प्रक्रिया या प्रचालन या सुविधाओं का प्रबंधन।

iii. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया: ऐसे विशेषज्ञ जो पर्यावरण प्रभाव आकलन(ईआईए) कराने और उसे लागू करने में दक्ष हों, तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) और अन्य प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने में सक्षम हों, और जिन्हें ईआईए प्रक्रिया में उपयोग होने वाली पूर्वानुमान तकनीकों और उपकरणों का व्यापक ज्ञान और अनुभव हो।

iv. जोखिम आकलन

v. जीव विज्ञान (वनस्पति और जीव-जंतु प्रबंधन)/वानिकी एवं वन्यजीव

vi. परियोजना समीक्षा में अनुभव सहित पर्यावरणीय अर्थशास्त्र

vii. विभिन्न विकासात्मक कार्यों और पर्यावरणीय मुद्दों को शामिल करते हुए लोक प्रशासन या प्रबंधन

3. ईएसी/एसईएसी की सदस्यता सदस्य सचिव सहित पंद्रह सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, अध्यक्ष किसी विशेष मामले में ईएसी/एसईएसी की सहायता के लिए विशेषज्ञोंका सह-चयन कर सकता है।

4. अध्यक्ष पर्यावरणीय नीति या पर्यावरणीय प्रबंधन में अनुभव रखने वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा।

5. अध्यक्ष, अपनी अनुपस्थिति में ईएसी/एसईएसी की अध्यक्षता करने के लिए सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष नामित करेंगे।

6. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि क्रमशः ईएसी/एसईएसी के सदस्य सचिव के रुप में कार्यबार देखेंगे। संबंधित राज्य सरकार की अनुशंसाओं के आधार पर, केन्द्र सरकार द्वारा एसईआईएए/एसईएसी के सदस्य सचिव को प्रशासनिक कारणों से बदला जा सकता है।

7. अध्यक्ष सहित कोई भी सद्स्य, कुल मिलाकर किसी भी ईएसी/एसईएसी/एसईआईएए अधिकतम 4 साल के दो-दो अवधि तक कार्यरत रह सकते है, बशर्ते नियुक्ति के समय उनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक न हो। हालांकि, यदि किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ की अनुपलब्धता अथवा कमी का यथोचित कारण बताया जाता है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति के समय अध्यक्ष/सद्स्य की आयु में अधिकतम 75 वर्ष तक की अनुमती दी जा सकती है।

8. उपर्युक्त समितियों और/या प्राधिकरणों, अर्थात् ईएसी, एसईएसी और एसईआईएए के अध्यक्ष/सदस्य को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व केंद्र सरकार द्वारा नहीं हटाया जाएगा, केवल उन मामलों में अध्यक्ष/सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा हटाया जाएगा जहां आरोप सिद्ध हो गए हों, जिससे उल्लिखित समितियों और/या प्राधिकरणों का कार्य सही, कुशल एवं निष्पक्ष तरिके से होने पर प्रभाव डाल रहा हो। इन आरोपों में ईऐईए अधिसूचना, 2006 यथा संशोधित बताई गई समय-सीमा के पश्चात् पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान/खारिज करने के प्रस्तावों को पूरा करने में विलंब होने का शुल्क भी शामिल होगा।

ख. पर्यावरण प्रभाव आकलन पर स्थायी प्राधिकरण (एसएईआईए) और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पर स्थायी समिति (एससीईआईए) का कामकाज

क्रम. सं.	स्थिति	मूल्यांकन	निर्णय/अनुमोदन	निर्णय के लिए समय-सीमा
1.	एसईआईएए और एसईएसी दोनों कार्यात्मक हैं	एसईएसी	एसईआईएए	अधिसूचना में एसईएसी/एसईआईएए के लिए समय-सीमा प्रदान की गई है।
2.	एसईआईएए कार्यात्मक है और एसईएसी कार्यात्मक नहीं है	एससीईआईए	एसईआईएए	
3.	एसईआईएए कार्यात्मक नहीं है और एसईएसी कार्यात्मक है	एसईएसी	एसएईआईए	
4.	एसईआईएए और एसईएसी दोनों कार्यात्मक नहीं हैं	एससीईआईए	एसएईआईए	
5.	एसईआईएए और एसईएसी दोनों कार्यात्मक हैं, परन्तु पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन का मूल्यांकन संबंधित एसईएसी द्वारा सभी ज़रूरी दस्तावेज़ के साथ पर्यावरणीय मंजूरी के लिए पूरा आवेदन मिलने के 120 दिनों के अंदर नहीं किया जाता है।	एससीईआईए	एसईआईएए	60 दिन
6.	एसईआईएए और एसईएसी दोनों कार्यात्मक हैं, परंतु यदि आवेदक को यथासंशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के पैरा 8 के उप-पैरा (i) या (ii) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर एसईआईएए के निर्णय से अवगत नहीं कराया जाता है	-	एसएईआईए	30 दिन

नोट: एक बार एसईआईएए एवं/अथवा एसईएसी के कार्यात्मक होने के बाद, एसएईआईए एवं/अथवा एससीईआईए के स्तर पर जो परियोजनाएं विचाराधीन हैं, उन्हें स्थिति अनुसार, एसईआईएए एवं/अथवा एसईएसी को वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि, यदि किसी प्रस्ताव की एससीईआईए एक बार मूल्यांकन कर देता है, या एसएआईए एक बार उसका मूल्यांकन कर लेता है, तो उस पर एससीईआईए की अंतिम सिफारिशें आने या एसएआईए पर्यावरणीय मंजूरी प्रस्ताव की मंज़ूरी आने/खारिज होने, तक संबंधित एससीईआईए या एसएआईए विचार करता रहेगा हालाँकि, यदि एसएईआईए द्वारा टीओआर मंजूरी की शर्तें मंज़ूर कर ली जाती है, तो एसईआईएए और एसईएसी द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान किए जाने के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है, यदि वे कार्यात्मक हैं, अन्यथा उस पर उपर्युक्त निर्णय- मैट्रिक्स के अनुसार विचार किया जाएगा।

[फा. सं. IA3-22/21/2025- IA.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

नोट: दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के एसओ 1533 (ई) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II, खंड 3, उपखंड (ii) में मुख्य अधिसूचना प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम संशोधन दिनांक 17 मार्च, 2025 के अधिसूचना सं. एसओ 1223(ई) के माध्यम से किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2026

S.O. 1165(E).— WHEREAS, the Central Government proposes to issue following draft notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and accordingly, the same is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it at the e-mail address: diriapolicy-moefcc@gov.in.

Draft Notification

S.O. ___(E).— WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior environmental clearance (EC) for certain category of projects covered in the schedule of the notification;

AND WHEREAS, the State Environment Impact Assessment Authorities (SEIAAs) have been constituted in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) act, 1986 for decentralization of the EC process for expeditious clearances at the State level for category B projects. To assist SEIAAs, State Expert Appraisal Committees (SEACs) are constituted by the Ministry in consultation with the State Governments.

AND WHEREAS, the tenure of SEIAA/SEAC is three years, extendable by one year. In the absence of SEIAA/SEAC, appraisal of projects within their domain is carried out at the Central level. The process of reconstitution is ordinarily initiated six months prior to expiry, however, delays occur due to late or incomplete submission of proposals from States.

AND WHEREAS, the matter has been examined in the Ministry. It has been observed that delayed re-constitution of SEIAA leads to complete halt in the EC process at the State levels and the pending proposals are transferred in bulk to the Centre leading to extended timelines and unwarranted delays in the appraisal of the projects, thereby impacting project timelines and investor confidence.

AND WHEREAS, the Central Government deems it necessary that the continuity of SEIAA and SEAC be ensured by authorizing a separate standing body as an interim arrangement for the purpose of appraisal of projects/activities and grant of regulatory clearances under EIA Notification 2006, in the absence of a functional authority and till the constitution of new SEIAA/SEAC.

AND WHEREAS, the Central Government also deems it necessary that the above said standing body may also be authorised to consider the project that are delayed at the SEIAA/SEAC level and to discharge such other tasks as may be entrusted to it by the Central Government from time to time related to the implementation of the EIA Notification, 2006, as amended from time to time, within the respective State/UT.

AND WHEREAS, Appendix VI of the EIA Notification, 2006 provides for the composition of the sector/ project specific Expert Appraisal Committee (EAC) for category A projects and the State/UT Level Environment Impact

Assessment Authority (SEIAA), State/UT Level Expert Appraisal Committees (SEACs) for category B projects to be constituted by the Central Government. Based on the experience gathered over the years in constituting EACs and SEIAAs/SEACs, the Ministry deems it necessary to carry out certain amendments in the provisions of the Appendix VI of the EIA Notification, 2006 to further streamline the constitution of EACs and SEIAAs/SEACs.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification,-

A. Sub-paragraph (6) of paragraph 3 shall be replaced with the following:-

"*The term of the SEIAA shall be for a period of four years and it shall be re-constituted upon expiry of its term*"

B. after sub paragraph (6) of Paragraph 3 following shall be inserted:-

"(6a) In addition to the constitution of SEIAA as above, there shall also be a Standing Authority on Environment Impact Assessment (SAEIA) for each State/UT which shall be constituted by the Central Government, under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and shall comprise of ex-officio Members as deemed appropriate. The SAEIA which shall discharge the functions of SEIAA in the event of SEIAA being non-functional due to expiry of its term or on account of any other circumstances for a maximum period of 6 months in each case subject to another extension of up to maximum period of 6 months. The SAEIA shall also discharge the functions as mentioned at para 8(iiia) and such other tasks as may be entrusted to it by the Central Government from time to time related to the implementation of this notification within the State/UT. The SAEIA may function as per the scenarios mentioned at Appendix VI."

C. in sub paragraph (7) of Paragraph 3 the words "*/SAEIA*" shall be inserted after the word "*SEIAA*"

D. in sub paragraph (iii) of paragraph 4 the words *"In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category 'B' project shall be considered at the Central Level as a Category 'B' project*" shall be deleted.

E. Sub-paragraph (c) of paragraph 5 shall be replaced with the following:-

"*The term of the EAC and SEAC shall be for a period of four years and the EAC/SEAC shall be re-constituted upon expiry of its term*"

F. after sub paragraph (c) of Paragraph 5 the following shall be inserted:-

"(ca) A Standing Committee on Environment Impact Appraisal (SCEIA) for each State/UT shall be constituted by the Central Government comprising of ex-officio Members, which shall discharge the functions of SEAC in the event of SEAC(s) being non-functional due to expiry of its term or on account of any other circumstances for a maximum period of 6 months in each case subject to another extension of up to maximum period of 6 months. The SCEIA shall also discharge such other tasks as may be entrusted to it by the Central Government from time to time related to the implementation of this notification within the State/UT. The SCEIA may function as per the scenarios mentioned at Appendix VI."

G. after sub paragraph (iii) of sub paragraph IV. Stage (4) of paragraph 7(i) the following shall be inserted:-

"(iiia) In the event the application for grant of EC is not appraised by the concerned State Level Expert Appraisal Committee(SEAC) within a period of 120 days from the date of the submission of the complete application by the project proponent, the application shall be automatically forwarded to the Standing Committee on Environment

Impact Appraisal (SCEIA), through PARIVESH portal, for consideration, which shall appraise such projects and provide their recommendations as per the scenarios and within the timeframe mentioned at Appendix VI".

H. after sub paragraph (iii) of Paragraph 8 following shall be inserted:-

"(iiia) In the event that the decision of the SEIAA is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) above, as applicable, the proposal shall be automatically forwarded to the Standing Authority on Environment Impact Assessment (SAEIA) through the PARIVESH portal, which shall examine the recommendations of the SEAC or SCEIA, as the case may be, and take a final decision on granting or rejecting the EC for the concerned project within the timeframe mentioned at Appendix VI and shall communicate the final decision to the Project Proponent and also to the concerned SEIAA."

I. Appendix VI shall be replaced with the following:-

"APPENDIX VI

(See paragraph 3 and 5)

A. COMPOSITION AND ELIGIBILITY CRITERIA OF THE SECTOR/ PROJECT SPECIFIC EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (EAC) FOR CATEGORY-A PROJECTS AND THE STATE/UT LEVEL ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY (SEIAA), STATE/UT LEVEL EXPERT APPRAISAL COMMITTEES (SEACS) FOR CATEGORY-B PROJECTS TO BE CONSTITUTED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

1. Qualification:

i. 5 years of formal education leading to a MA/MSc/MBA/LLM Degree, or prescribed apprenticeship/articleship leading to a qualified Chartered Account, or

ii. In case of Engineering /Technology/Architecture disciplines, 4 years formal education in a professional course leading to a B.Tech/B.E./B.Arch. Degree, or

iii. Civil Service Officers with 2 years of formal training in a Service Academy.

2. Experience: Any person with the above qualifications along with at least 15 years of subsequent experience, or with Ph.D., along with at least 10 years of total experience in the following fields or /disciplines:

i. Environment Quality: Experts in measurement, monitoring, analysis and interpretation of data in relation to environmental quality

ii. Sectoral Project Management: Experts in Project Management or Management of Process or Operations or Facilities in the relevant sectors.

iii. Environmental Impact Assessment Process: Experts in conducting and carrying out Environmental Impact Assessments (EIAs) and preparation of Environmental Management Plans (EMPs) and other Management plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process

iv. Risk Assessment

v. Life Science (Floral and Faunal Management) / Forestry and Wildlife

vi. Environmental Economics with experience in project appraisal

vii. Public Administration or Management covering various developmental sectors and environmental issues.

3. The Membership of the EAC/SEAC shall not exceed fifteen Members, including the Member Secretary. However, the Chairperson may co-opt expert(s) for assisting the EAC/SEAC in any particular matter(s).

4. The Chairperson shall be an eminent person having experience in environmental policy or environmental management.

5. The Chairperson shall nominate one of the Members as Vice-Chairperson to preside over the EAC/SEAC in the absence of the Chairperson.

6. A representative of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change/State Government shall officiate as Member Secretary of EAC/SEAC respectively. The Central Government, based on the recommendations of the State Government concerned, may replace the Member Secretary of the SEIAA/SEAC, on account of administrative reasons.

7. The maximum tenure a Member, including Chairperson, can serve in any of the EACs/SEACs/SEIAAs, in totality, shall be for two terms of maximum 4 years each, provided they are not more than 70 years of age at the time of appointment. However, in the event of justification provided for non-availability of /paucity of experts in a given field, the maximum age of the Chairperson / Member may be allowed up to 75 years at the time of appointment.

8. The Chairman/Members of the aforesaid Committees and/or Authority namely EAC, SEAC and SEIAA shall not be removed by the Central Government, prior to expiry of the tenure, except on account of proven charges which affect the functioning of the aforesaid Committees and/or Authority in a just, efficient and fair manner. The charges may include delay in processing the proposals for grant/rejection of EC beyond the timelines specified in the EIA Notification, 2006, as amended.

B. Functioning of Standing Authority on Environment Impact Assessment (SAEIA) and Standing Committee on Environment Impact Appraisal (SCEIA)

Sl.No.	Scenario	Appraisal	Decision / Approval	Timeframe for decision
1.	Both SEIAA and SEAC are functional	SEAC	SEIAA	Timeframe provided for SEAC/ SEIAA in the notification
2.	SEIAA is functional and SEAC is not functional	SCEIA	SEIAA	
3.	SEIAA is not functional and SEAC is functional	SEAC	SAEIA	
4.	SEIAA and SEAC are both not functional	SCEIA	SAEIA	
5.	SEIAA and SEAC are both functional but the application for grant of EC is not appraised by the concerned SEAC within a period of 120 days from the receipt of the completed application for EC with all requisite documents	SCEIA	SEIAA	60 days
6.	SEIAA and SEAC are both functional but the decision of the SEIAA is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) of para 8 of EIA Notification,2006, as amended.	-	SAEIA	30 days

Note: Once the SEIAA and/or SEAC becomes functional, the respective projects that are under consideration at the level of SAEIA and/or SCEIA shall be transferred back to the SEIAA and/or SEAC as the case may be. However, in the event of a proposal being appraised once by the SCEIA, or being assessed once by the SAEIA, then the same shall continue to be considered by the concerned SCEIA or SAEIA till the final recommendations of the SCEIA or grant/ rejection of EC proposal by SAEIA. However, in the event of ToR being granted by the SAEIA, the proposal may be considered for grant of EC by the SEIAA and SEAC , if they are functional else the same shall be considered in accordance with the decision-matrix mentioned above.

[F. No. IA3-22/21/2025-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and last amended vide the notification number S.O. 1223(E), dated the 17th March, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.06 10:54:41 +05'30'